Title: Made a statement regarding grant of out-of-turn allotment of gas/telephone connections by Members of Parliament.

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों को बिना बारी आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में सदन में मामला उठा था। मैंने कहा था कि केरल हाई कोर्ट में १० तारीख को इनजंक्शन ऑर्डर के बाद जो फैसला हुआ, मैं उसे यहां पढ़ना चाहता हूं।

जैसा कि आप और माननीय सदस्यगण जानते हैं कि केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष आए एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों के बिना बारी आवंटित किए जाने पर रोक लगाई गई थी।

भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय से इस रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया था।

भारत के अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, एरनाकुलम के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने १० दिसम्बर १९९८ को दिए गए अपने निर्णय द्वारा इस रोक को हटा लिया है। तथापि, न्यायालय ने संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों के बिना बारी आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं

... (व्यवधान)

आप सुन लीजिए। जो फैसला हुआ है, मैं उसे बता रहा हूं।

१. उपभोक्ता जिसे यह सुविधा दी जाए वह संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का त

निवासी हो।

२. गैस/टेलीफोन कनेक्शन घरेलू उपयोग के लिए दिया जाए न कि कमर्शियल उपयोग के त

लिए।

३. सुविधा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गैस/टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने वाली त

तारीख को संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए।

४. सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम व्यापक रूप से प्रकाशित किए त

जाएं।

निर्णय की प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश निरस्त कर दिया है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणा की तिथि से इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को एक करोड़ रुपए से बढ़ा कर दो करोड़ रुपए किए जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी यहां जवाब दें।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, this is not `Zero Hour', please take your seat. I have called the name of Shri P.Shiv Shankar.

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की राशि का बढ़ा कर दो करोड़ रुपए किए जाने के सम्बन्ध में अपनी बात कही थी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

... (व्यवधान)

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Mr. Speaker, Sir, without offending anybody, I would like to raise the issue of sensitivity in the matter. The issue of gas and telephone connections was decided in your chamber by the Members. We followed a particular procedure and we discussed it. The conditions were also laid down by us. All those guidelines were made absolutely clear.

It would have been far better if the hon. High Court not entered the area of the manner in which this House decided a particular matter. Perhaps the Government has failed in bringing to the notice of the High Court the fact that this issue was discussed by a Committee of the House itself, and that the manner in which matters are discussed in a Committee of Parliament are not justiciable under Article 22 of the Constitution by any court. My own feeling is that the Government has failed to bring to the notice of the High Court that this matter should not have been gone into by them. If this were brought to the notice of the hon. High Court, I am sure, the hon. High Court would never have gone into it. They could not interfere, normally, in matters on which we go into the details, discuss the guidelines and come to a conclusion. I would like to know from the hon. Minister as to whether there has been a failure on the part of the Government in bringing this aspect to the notice of the High Court as a result of which the High Court had laid down certain conditions.

श्री शैलेन्द्र कुमार : एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में जवाब दें।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is not `zero hour'.

... (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : पिछले सत्र में यह बात उठाई गई थी कि सांसदों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उसको बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने पटना में घोषणा की थी कि इसको बढ़ाया जाएगा।

... (व्यवधान)

इसको कब करने जा रहे हैं?

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Prabhunath Singhji, this is not zero hour. Please take your seat.

... (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : मेरी बात पूरी नहीं हुई।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ज़ीरो अवर में बोलिये।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, माननीय शिवशंकर जी ने जो मुद्दा उठाया है, उसके पहले भी इस विषय पर सदन में माननीय चंद्रशेखर जी ने और काफी सदस्यों ने अपनी राय उसी प्रकार से प्रकट की थी। उसके बाद आपके चैम्बर में फिर मीटिंग हुई और आपने ही आदेश दिया था कि १० तारीख चूंकि हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है, उसका फैसला कुछ भी होगा, हम निर्णय करेंगे, लेकिन १० तारीख देख लें। १० तारीख को चूंकि इनजंक्शन खत्म हो गया, वैसे हम हाई कोर्ट की

नॉलेज में ये सारी चीजें लाए हैं लेकिन अभी एक हिस्सा था उसका जो स्थगन आदेश था, उसको रद्द करवाना था, वह रद्द करवा दिया। अब अगर उसके ऊपर बहस होगी, केस चलेगा तो उस पर हम सारे तथ्य रखेंगे। पहले भी रखे हैं और अब भी रखेंगे।